

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30122021-232272
SG-DL-E-30122021-232272

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 340
No. 412]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 340

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सं. F. 6(100)/आईटी/2020/खंड-IV/5125.—दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 9 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सरकार की दिनांक 21 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/आईटी/2011/1314-1323; दिनांक 13 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/IT/2011/5987-6000; दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.6(100)/IT/2014/7361-7395; दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.6(524)/IT/2020/4047; दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं0 F.6(524)/आईटी/2020/खंड.-I/4929 तथा दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की उत्तरवर्ती अधिसूचना सं0 F.6(524)/आईटी/2021/खंड.-IV/5042 के अनुक्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उनके संबंधित विभागों के लिए निम्नानुसार नियुक्त करते हैं, अर्थात्:-

1. दिल्ली नागरिक (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की अनुसूची में, प्रविष्टि 564 के पश्चात नागरिकों से संबंधित सेवाओं की निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	सेवा का नाम	धारा-9 के तहत सक्षम अधिकारी	धारा -11 के तहत अपीलीय प्राधिकारी	विभाग/ संगठन
565	नई सहकारी समिति का पंजीकरण	सहायक पंजीयक (समन्वय)	उप पंजीयक (समन्वय)	पंजीयक सहकारी समितियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
संजय कुमार सूर्या, उप-सचिव (आईटी)

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th December, 2021

No. F. 6(100)/IT/2020/Vol.IV/5125.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, read with sub-section (2) of Section 11 of the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011) and in continuation of this Government's Notification No. F.6(100)/IT/2011/1314-1323 dated the 21st February, 2012; Notification No. F.6(100)/IT/2011/5987-6000 dated 13th December, 2012; Notification No. F.6(100)/IT/2014/7361-7395 dated 14th August, 2014; Notification No. F.6(524)/IT/2020/4047 dated 4th October, 2021; Notification No. F.6(524)/IT/2020/Vol-I/4929 dated 22nd December, 2021 and subsequent Notification No. F.6(524)/IT/2021/Vol-IV/5042 dated 27th December, 2021 on the subject, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following Officers, as Competent Officer and Appellate Authority, as the case may be, for the purpose of this Act, for their respective Departments, as under, namely:-

1. In the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011), after entry 564, the following entry related to Citizen related Service shall be added, namely: -

S.No.	Name of Service	Competent Officer Under Section 9	Appellate Authority Under Section 11	Department/Organization
565	Registration of new Cooperative Society	Assistant Registrar (Coordination)	Deputy Registrar (Coordination)	Registrar of Cooperative Societies

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR SURYA, Dy. Secy. (IT)